संख्या-44/2017/344/71-1-2017-जी-09/2017

प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 21 मार्च, 2017

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 में राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 500 शैय्या वाले बाल रोग चिकित्सा संस्थान की स्थापना हेतु उपकरणों के क्रय किए जाने हेतु अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2017/738, दिनॉक 08-02-2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 500 शैय्या वाले बाल रोग चिकित्सा संस्थान की स्थापना हेतु उपकरण क्रय किए जाने हेतु प्रस्तावित उपकरणों की सूची अनुमोदित करते हुए (सूची संलग्न) वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत "मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" मद में अनुपूरक मांग से प्राविधानित धनराशि रू0 40,00,00,000/- (रू0 चालीस करोड़ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष् प्रदान करते है।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि से उपकरणों का क्रय नियमानुसार क्रय प्रक्रिया पूर्ण करके किया जाएगा।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग सुसंगत वित्तीय नियमों, स्टोर परचेज रूल्स एवं समय -समय पर जारी किये गये शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जबकि उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0 अथवा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

6- प्रश्नगत उपकरणों की आवश्यकता तथा मानक स्वयं सुनिश्चित किया जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि क्रय किये जा रहे उपकरण/साज-सज्जा प्रश्नगत चिकित्सालय के लिए आवश्यक एवं मानकानुसार है।

7- चिकित्सालय के भवन निर्माण कार्य पूर्ण होकर कार्यदायी संस्था द्वारा विभाग को हस्तगत कराए जाने की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत ही प्रश्नगत उपकरणों का क्रय किया जायेगा।

8- उपकरणों/साज-सज्जा का क्रय वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 तथा समय-समय पर उद्योग विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले क्रय संबंधी आदेशों में दी गयी व्यवस्था/प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का विचलन वित्तीय अनियमितता का द्योतक होगा, जिसके लिए महानिदेशक/प्रधानाचार्य पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

9- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत उपकरण की स्थापना हेतु स्थान, भवन आदि उपलब्ध है तथा संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध है।

10- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-65-मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 500 शैय्या वाले बाल रोग चिकित्सा संस्थान की स्थापना-26-मशीने और सजजा/उपकरण और संयंत्र" के नामे डाला जायेगा।

11- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनॉक 22 मार्च, 2016 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

संलग्नक-उपकरणों की सूची।

भवदीय

(डा0 अनिता भटनागर जैन)
अपर मुख्य सचिव

संख्या:- 44/2017/ 344(1)/71-1-2017 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
6- नियोजन अनुभाग-4
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- संबंधित समीक्षाधिकारी/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।